महत्वपूर्ण एवं खास

नगरीय निकायों में 7 अगस्त को होगा जनसमस्या निवारण शिविर

सारंगढ़ बिलाईगढ़। नगरपालिका और नगर पंचायत में जनसमस्या निवारण शिविर बुधवार 7 अगस्त को नगरपालिका परिषद सारंगढ़ के वार्ड 14 के लिए पैलपारा रंगमंच में, नगर पंचायत बरमकेला में वार्ड 15 के लिए वार्ड 15 के हुरूम खांचा रंगमंच में, सरिया के वार्ड 15 के लिए चौपाल में, नगर पंचायत बिलाईगढ़ में वार्ड 10,11,12,13,14 के लिए बिलाईगढ़ के मित्तल चौक देवांगन समाज भवन में आयोजित होगा।

पांच मजिस्ट्रेट को मिला विशेषाधिकार

रायपुर (आरएनएस)। एक जुलाई से देशभर में लागू नए कानून के अनुसार पुलिस थानों में मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। नए कानून के तहत थानों से अदालतों में पहुंचने वाले मुकदमों की सुनवाई अब नवीन प्रावधानों के तहत की जा रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल बलराम प्रसाद ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है, जिसमें बिलासपुर जिला न्यायालय के पांच न्यायिक मजिस्ट्रेटों को मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया है। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 283 की उपधारा (1) के खंड (बी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को संक्षिप्त मुकदमा चलाने का अधिकार दिया है। यह अधिकार सभी प्रकार के अपराधों के संबंध में होगा। इस सूची में ऐश्वर्या दीवान, कोनिका यादव, आशीष कुमार चंदेल, पार्थ दुबे, और रश्मि मिश्रा को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) के रूप में नियुक्त किया गया है। ये मजिस्ट्रेट बिलासपुर जिले में नए कानून के तहत पेश होने वाले मुकदमों की सुनवाई करेंगे और निर्णय देंगे।

छत्तीसगढ़ में अब तक 676.7 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2024 से अब तक राज्य में 676.7 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2024 से आज 06 अगस्त सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 1509.7 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 321.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर जिले में 553.2 मिमी, बलरामपुर में 845.6 मिमी, जशपुर में 536.1 मिमी, कोरिया में 575.3 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 582.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। इसी प्रकार, रायपुर जिले में 599.0 मिमी, बलौदाबाजार में 742.0 मिमी, गरियाबंद में 647.0 मिमी, महासमुंद में 499.6 मिमी, धमतरी में 668.6 मिमी, बिलासपुर में 624.7 मिमी, मुंगेली में 670.7 मिमी, रायगढ़ में 571.1 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 343.3 मिमी, जांजगीर-चांपा में 601.6 मिमी, सक्ती 521.5 कोरबा में 792.3 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 614.3 मिमी, दुर्ग में 443.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 553.1 मिमी, राजनांदगांव में 749.0 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी में 855.3 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 518.9 मिमी, बालोद में 801.8 मिमी, बेमेतरा में 414.8 मिमी, बस्तर में 735.9 मिमी, कोण्डागांव में 746.4 मिमी, कांकेर में 963.1 मिमी, नारायणपुर में 855.6 मिमी, दंतेवाड़ा में 884.2 मिमी और सुकमा जिले में 1000.1 मिमी औसत वर्षा एक जून से अब तक रिकार्ड की गई।

विकास खंड पुसौर के सभी 31 संकुल में आयोजित हुआ वृहद पालक-शिक्षक मेगा बैठक

❑ जनप्रतिनिधि, डॉक्टर, शिक्षाविद् एवं काउंसलर भी हुए शामिल

रायगढ़

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पालकों एवं शिक्षकों के मध्य समन्वय स्थापित करने, पालको को उनके बच्चों के पढाई में सहायता हेतु समाधानकारक उपाय सुझाने तथा शासन द्वारा बच्चों हेतु संचालित हितग्राही योजनाओं एवं शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन हेतु विकास खंड पुसौर के सभी 31संकुल केंद्रो में प्रथम पालक-शिक्षक मेगा बैठक का वृहद आयोजन किया गया। प्रत्येक संकुल में बैठक का शुभारंभ विद्या देवी माँ सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित कर शारदा वंदना के साथ उपस्थित जनप्रतिनिधि व आमंत्रित अतिथियों का स्वागत किया गया।

उक्त कार्यक्रम में जिला से सहायक परियोजना समन्वयक भुवनेश्वर पटेल द्वारा संकुल केंद्र गढ़उमरिया, डूमरमुड़ा, मिडमिडा, रेंगालपाली, पंचपारा के संकुल स्तरीय कार्यक्रम में सम्मिलित होकर पालकों अविभावकों को संबोधित किया। विकास खंड शिक्षा अधिकारी दिनेश पटेल ने संकुल केंद्र कोड़ातराई, तेतला, पुसल्दा व पश्चिमी क्षेत्रों में आयोजित पालक शिक्षक मेगा बैठक में सम्मिलित हुये। बी आरसीसी शैलेंद्र मिश्रा एवं एबीओ मनीष सिन्हा द्वारा विभिन्न संकुलों में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होकर संबोधित किये।

कार्यक्रम में शासन द्वारा निर्धारित बारह बिन्दुओं के बारे में विस्तार पूर्वक शिक्षकों द्वारा बताया गया जिसमें प्रमुख रूप से मेरा कोना, छात्र दिनचर्या, बच्चे ने आज क्या सिखा, बच्चा बोलेगा बेझिझक, बच्चों की अकादमिक प्रगति एवं परीक्षा पर चर्चा, पुस्तक की उपलब्धता सुनिश्चित करना, बस्ता रहित शनिवार, विद्यार्थियों के आयु, कक्षा अनुरूप स्वास्थ्य परीक्षण एव पोषण की जानकारी, जाति आय निवास प्रमाण पत्र, न्योता भोज,विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं/छात्रवृत्ति एव विभागीय योजनाओं की जानकारी, विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से शिक्षा आदि प्रमुख विन्दुओं के बारे में पालकों से चर्चा किया गया।

विकास खंड पुसौर में 01 से 12 तक छात्रों की कुल संख्या 14539 हैं, आज के मेगा पीटीएम 811शिक्षकों, 3224 पालक, 290 जनप्रतिनिधि एवं 92 शिक्षाविद् उपस्थित रहे। मेगा पीटीएम के दौरान एक पेड़ मां के नाम से 1424 वृक्षारोपण किया गया। साथ ही 220 मेरिट बच्चों के पालकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आमंत्रित डाक्टर, शिक्षा विद्, मनोवैज्ञानिक एव कौन्सलर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुये महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान किये। प्रत्येक विद्यालय से मेधावी छात्र के पालक को सम्मानित किया करते हुये शिक्षा में सतत् जोडने के लिये उत्साह वर्धन किया गया। कार्यक्रम को विभिन्न वक्ताओं एवं अतिथियों व पालको द्वारा संबोधित किया गया। उक्त कार्यक्रम में अतिथियों के साथ नव नियुक्त शाला प्रबंधन के अध्यक्ष, प्रत्येक विद्यालय से पालक, विद्यालय के सभी शिक्षक व बड़ी संख्या में महिला पालक उपस्थित थे।

डेंगू रोकथाम के लिए चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान

❑ स्वास्थ्य एवं नगर निगम की टीम घर-घर जाकर कर रही सोर्स रिडक्शन कार्य

❑ गली-मोहल्लों में पहुंच रही डेंगू जागरूकता रथ, लक्षण एवं बचाव के संबंध में दे रही जानकारी

रायगढ़

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बी.के. चंद्रवंशी के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम डेंगू रोकथाम के लिये जागरूकता अभियान व डेंगू पर नियंत्रण करने घर-घर जाकर सोर्स रिडक्शन का कार्य कर रहे हैं। साथ ही डेंगू बचाव व सावधानी बरतने हेतु गली-गली में जागरूकता रथ के द्वारा प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के पार्षद व कर्मचारियों द्वारा लोगों के घर-घर जाकर समझाईश व जानकारी दी जा रही है। जिससे डेंगू केसेस में कमी लायी जा सके।

सीएमएचओ ने जानकारी देते हुए बताया कि डेंगू मच्छर से बचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर के आस-पास साफ-सफाई रखनी होगी। नालीयों में जला हुआ मोबिल, मिट्टी तेल का छिडकाव करनी चाहिए। हमेशा फूल आस्तीन के वस्त्र पहनना चाहिए, रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, कुलर में स्थिर पडे हुए पानी का निष्कासन, टायर, नारियल खोल इत्यादि में ठहरे हुए पानी को खाली करना चाहिए। आम जनता डेंगू बीमारी से घबराएं नहीं तथा डेंगू रेपीड डायग्नोस्टिक टेस्ट कीट से जांच होने के उपरान्त धनात्मक आने पर कोई भी निजी संस्थान/प्राइवेट क्लीनिक घोषणा नहीं करेगा कि मरीज धनात्मक है। वो संदेहास्पद मरीज के रूप में जाना जायेगा।

डेंगू से बचाव के संबंध में सोशल मीडिया मोबाईल/व्हॉट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, अखबार में पाम्पलेट का वितरण हर घर-घर में किया जा रहा है। इसी तरह एमएमयू द्वारा हाट बाजार व शिविर में पाम्प्लेट पोस्टर के माध्यम से प्रचार-प्रसार एवं जागरूक किया जा रहा है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर समस्त शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डेंगू पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की गई एवं डेंगू के रोकथाम, लक्षण तथा उपचार पर लोगों को जागरूक किया गया। वार्ड स्तर पर मितानिनों महिला आरोग्य समिति के सदस्यों तथा समुदाय के लोगों के द्वारा रैली निकाली गई। समस्त मितानिन ट्रेनर एवं शहरी स्वास्थ्य स्टाफ की बैठक आयोजित की गई। जिसमें समुदाय स्तर पर डेंगू के रोकथाम एवं डेंगू के उपचार में मितानिनों की भूमिका एवं समुदाय स्तर पर किए जाने, शासकीय/अशासकीय शाला स्तर पर बच्चों को प्रार्थना काल के दौरान जागरूक करते हुए निर्देश दिया गया साथ ही आम जनता से अपील कि गई की रायगढ़ जिला को डेंगू मुक्त बनाने में सहयोग प्रदान करें।

खनिज विभाग ने सारंगढ़ ब्लॉक के माइनिंग क्षेत्र में की स्वास्थ्य जांच शिविर

सारंगढ़ बिलाईगढ़

माइनिंग क्षेत्र खर्री बड़े में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में 104 नागरिकों का जांच किया गया, जिसमें 14 संदिग्ध मरीज पाए गए हैं। कलेक्टर धर्मेश साहू के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा 31जुलाई से 06 अगस्त तक खनन प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग एवं क्रशर संचालकों के सहयोग से टीबी स्क्रीनिंग एवं मौसमी बीमारियों के जॉच की गई। किसी भी प्रकार की बिमारी होने से बचाव के विभिन्न प्रकार के उपाय स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया। जिसमें मच्छरदानी का उपयोग तथा गर्म पानी का उपयोग में लाने की सलाह दी गई। मादक द्रव्य पदार्थो का सेवन हानिकारक है, जिसका हमारे शरीर में प्राणघातक असर होता है और इस सेवन के कारण पारिवारिक सदस्य को परिवार से दूर तथा सामाजिक खुशहाल जीवन से भी दूर रखा जाता है।

खनिज विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि क्रेशर में काम के दौरान उचित प्रशिक्षण और उपकरणों के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के क्रेशर से परिचित हो। क्रेशर में कार्य करने के दौरान सुरक्षा उपकरणों (ग्लब्स, मास्क, सुरक्षा टोपी आदि) का उपयोग किया जाए, जिससे सुरक्षित जीवन के साथ पारिवारिक सुख का आनन्दमय हो। कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। किसी भी प्रकार के विद्युत संयंत्रों अथवा स्वीच का प्रयोग चप्पल पहन कर करें। कार्य क्षेत्र तथा अपने आस-पास साफ सफाई रखे तथा अन्य साथी को भी जागरुक करें।

26 लीटर महुआ शराब के साथ स्कूटी जब्त

❑ ग्राम बंगुरसिया में चक्रधरनगर पुलिस ने की शराब रेड कार्यवाही

रायगढ़

दिनांक 04.08.2024 को चक्रधरनगर पुलिस द्वारा मुखबीर सूचना पर ग्राम बंगुरसिया में स्कूटी पर शराब का अवैध परिवहन कर रहे आरोपित राजू लकडा पिता सालिक राम उम्र 46 वर्ष साकिन बंगुरसिया बडे झरिया थाना चक्रधरनगर जिला रायगढ़ को शराब रेड की कार्रवाई कर पकड़ा गया है। थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव आहेर को मुखबीर से सूचना मिली थी कि ग्राम बंगुरसिया का राजू लकडा अपने एक्टिवा स्कूटी क्रमांक CG 13-AV-6874 में अवैध रूप से बिक्री करने भारी मात्रा में महुआ शराब रायगढ़ की ओर ला रहा है। रेड कार्रवाई में आरोपित के कब्जे से मिले 10 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरिकेन और 2-2 लीटर वाली प्लास्टिक बाटल जुमला 26 लीटर महुआ शराब कीमती 2,600/- रूपये बरामद कर परिवहन में प्रयुक्त एक्टिवा स्कूटी क्रमांक CG 13-AV-6874 समेत जप्त किया गया है। आरोपित के कृत्य पर थाना चक्रधरनगर में धारा 34(2),59(क)आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। शराब रेड कार्रवाई में प्रधान आरक्षक सुमन चौहान, आरक्षक अभय यादव और चन्द्र कुमार बंजारे शामिल थे।

चक्रधरनगर पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ के माध्यम से शराब प्रकरण में जप्त स्कूटी वाहन को राजसात की कार्रवाई के लिए जिला दंडाधिकारी रायगढ़ को पत्र प्रेषित किया जावेगा।

थाना प्रभारी कोतरा रोड ने ली ग्राम कोटवारों की मीटिंग : घटना, दुर्घटना की तत्काल सूचना पुलिस को देने के दिए निर्देश

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन एवं डीएसपी अखिलेश कौशिक के मार्गदर्शन पर दिनांक 06.08.2024 को थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी द्वारा थानाक्षेत्र के ग्राम कोटवारों की थाने में मीटिंग ली गई। थाना प्रभारी द्वारा कोटवारों को उनके कर्तव्यों के बारे जानकारी देकर महत्वपूर्ण निर्देश दिये। उन्होंने वर्तमान समय के मुताबिक मोबाइल पर बनाये गये पुलिस-कोटवार व्हाटसअप ग्रुप में गांव में होने वाली घटनाओं की जानकारी नियमित रूप से देने कहा गया और किसी बड़ी-घटना, दुर्घटना पर तत्काल कॉल करना बताए। थाना प्रभारी ने बताया कि वर्तमान में वर्षो को देखते हुए ग्राम कोटवार गांव में मुनादी कर ग्रामवासियों को नदी तट पर अनावश्यक जाने से रोंके। बाहर से कोई भी फेरीवाले, जडी बुटी सामान खरीदी बिक्री करने वालों पर निगाह रखें, अवैध शराब, जुआ-सट्टा की सूचना दें जिस पर कार्यवाही की जावेगी। आकस्मिक घटनाएं-आकाशीय बिजली, सर्पदंश, करंट लगने से मृत्यु, डूबने से मृत्यु की दशा में पीड़ित को शासन की ओर से प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति दिलाने पीडित परिवार को मदद करें। थाना स्टाफ जब ग्राम भ्रमण पर जावें तो कोटवार भी साथ में पेट्रोलिंग कर अवैध गतिविधियों की जानकारी दें। थाना प्रभारी ने वर्तमान में हो रहे साइबर फ्रॉड के बारे में कोटवारों को जानकारी दिया गया। थाना प्रभारी द्वारा गांव की समस्याओं को लेकर परस्पर सहयोग की भावना से चर्चा किया गया औरगांव की छोटी-बड़ी समस्याओं का प्रशासन, पुलिस व संबंधित विभाग के सहयोग से उचित निराकरण करना बताया गया।

ब्लॉक क्षेत्र में 7 अगस्त को होगा आधार, आयुष्मान, श्रम और पीएम विश्वकर्मा पंजीयन शिविर

सारंगढ़ बिलाईगढ़

कलेक्टर धर्मेश साहू ने विगत दिनों किए गए आधार कार्ड अपडेट, आयुष्मान, श्रम और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का पंजीयन शिविर में मिली सफलता के आधार पर जिले में बचे हुए नागरिकों और हितग्राहियों के लिए शिविर का पुनः आयोजन 5 अगस्त से किया है। आगामी 7 अगस्त को जिले के तीनों ब्लॉक में यह शिविर आयोजित किया जाएगा। इन सभी कार्यो के लिए शासन द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान हितग्राहियों से किया जाएगा।

सारंगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सारंगढ़ के अंतर्गत- नवागांव, चुरेला, कोसीर, खैरा बडे, भकुर्रा, बरभाठा, पिकरी, उलखर, रामभांठा, जामपाली, परसकोल, लालाधुरवा, बटउपाली, मधोपाली, चुरेला, बांधापाली, पासीद, मकरी, बरदरहा, गातापीडा, नरेशनगर, खुर्शी, करगीपाली, बोहारडीह, बैगीनडीह, सराईपाली, पाकरडीह, सिंघनपुर, खम्हारपाली, खैरपाली, छुहीपाली, घोठला बड़े, अन्डोला, खर्री बड़े, डउकीजोर, हिर्री, कोतरी, गोडीहारी, सहसपानी, कौंआताल, वार्ड क्र-14 बुटीपारा, कुधरी, वार्ड क्र-10 खैराहा और घसीयापारा में शिविर होगा।

बरमकेला ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम विक्रमपाली ऐरीपाली, लामीपाली, जामपाली, अमोदा, खिचरी, सेमीकोट, चांटीपाली, बिलाईगढ ब, खरवानी आ.बा.4, दमदमा, बोइरडीह, परधियापाली, रोहिनापाली, जामदलखा, ख्पारापाली, डुमरपाली, छुहीपाली, सेमरापाली, बोकरामुडा, ठोसरबहार, छोटे आमाकोनी, पुरेनपाली, मौहापाली, घोघरा, डडाईडीह, महाराजपुर, पिहरा, अमेरी, पड़कीडीपा, बरपाली, धौरादरहा, बोरिदा, करपी, पुजेरीपाली, सराईपाली, बिलाईगढ़ स, बारादवन, सुरजगढ़, बरमपुरा, मोहदी, सरिया वार्ड क्र. 6 में शिविर आयोजित होगा।

इसी प्रकार बिलाईगढ़ क्षेत्र के ग्राम बिलाईगढ़ के मितलचौक, बिलाईगढ़ वार्ड नं-8,9, 10,11 सहित बिलाईगढ़ ब्लॉक के ग्राम सोनिहाडीह, छपोरा, चारपाली, देवरबोड, पीपरभावना, पण्ड्रीपानी, लंकाहुडा, बोडाडीह, सेन्दुरस, गाडापाली, बोडाडीह, धोबनीडीह, बोडाडीह, बेलादुला, भरतपुर, सरसीवां, मडकडी, कोट, करियाटार, सारधाभाठा, बरभाठा, पण्ड्रीपाली, मिरमिद, झुमका, बेल्हा, चकरदा, टुण्डरी, कोसमकुडा, गाताडीह, ढेडीभदरा, पचपेडी, नवापारा, मुडपार, चिकनीडीह, मुच्छमल्दा, जमगहन और बम्हनपुरी में शिविर आयोजित होगा।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

पालक अपने बच्चे को तेज वाहन नहीं चलाने की समझाइश दें : कलेक्टर धर्मेश साहू

❑ कलेक्टर ने ली सड़क सुरक्षा की बैठक

सारंगढ़ बिलाईगढ़

कलेक्टर धर्मेश साहू ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सड़क सुरक्षा की बैठक ली। कलेक्टर ने वाहन को सामान्य ड्राइविंग करने के लिए कहा। सभी पालक अपने बच्चे को तेज वाहन नहीं चलाने की समझाइश दें ताकि बच्चों की जान जोखिम नहीं हो। कलेक्टर ने वाहन चालकों को हेलमेट और सीट बेल्ट पहनकर वाहन चलाने के लिए कहा। पुलिस सहित सभी अधिकारियों को कलेक्टर ने कहा कि सड़क किनारे नशे से दूर रहने, यातायात नियमों का पालन करने के लिए होर्डिंग लगाने के लिए कहा। कलेक्टर ने युवाओं के द्वारा नशे के लिए उपयोग किए जा रहे सभी प्रकार के प्रतिबंधात्मक सामग्रियों की रोकथाम के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्टर ने सभी निर्माण विभाग पीएचई, विद्युत, पीडब्ल्यूडी और दूरसंचार बीएसएनएल सहित निजी कंपनी एयरटेल, जियो सहित केबल चैनल आदि को निर्देशित किया कि सड़क के निर्धारित सीमा को छोड़कर खुदाई का कार्य करें। कलेक्टर ने बैठक में दुर्घटनाजन्य ब्लॉक स्पॉट के पास दिशासूचक और आवश्यक निर्माण कार्य करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में कलेक्टर ने जिले के पशुपालकों को कहा कि वे अपने गाय, बछड़े आदि का देखभाल अच्छे से अपने घरों में करें, खुला न छोड़ें और सड़क पर बिल्कुल भी नहीं बैठे इस बात का ध्यान रखें और घर पर व्यवस्था करें। कलेक्टर ने इसकी रोकथाम की रूपरेखा तैयार की है, जिसके लिए बुनियादी तौर पर पशु चिकित्सा विभाग को बचे हुए गाय बछड़े को पशुपालक के नाम की टैगिंग की जाएगी। यदि गाय सड़क पर मिले तब उसे ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय विभाग द्वारा धरपकड़ कर संबंधित पशुपालक से जुर्माना वसूला जाएगा, उस जुर्माना राशि से पशुओं को देखभाल के लिए चारा पानी की व्यवस्था की जाएगी। यदि कांजी हाउस से पशुपालक गाय बछड़े को घर नहीं ले जाते तो उनके विरूद्ध कुर्की जैसे कार्यवाही की जाएगी।

बैठक में एसपी पुष्कर शर्मा, संयुक्त कलेक्टर एस के टंडन, परियोजना निदेशक हरिशंकर चौहान, एएसपी कमलेश्वर चंदेल, एसडीएम डॉ. स्निग्धा तिवारी, अनिकेत साहू, डिप्टी कलेक्टर डॉ वर्षा बंसल, डीएसपी अविनाश मिश्रा, एसडीओपी विजय ठाकुर, तहसीलदारगण सीईओ, सीएमओ सहित पशु चिकित्सा अधिकारी उपस्थित थे।